उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4

संख्या-44/2015/200/22-4-15-48(39)/14

लखनऊ : दिनांक-13 फरवरी, 2015

शुद्धि- पत्र

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दियों के लिए पेयजल की सुचारू व्यवस्था हेतु सबमर्सिबुल पम्पों की स्थापना किये जाने हेतु जारी वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश संख्या-31/2015/1602/22-4-14-48(39)/14, दिनांक-5 फरवरी, 2015 में उल्लिखित महानिरीक्षक कारागार के पत्र संख्या-1594(ए)/नम-1, पत्र संख्या-1601/नम-1 एवं पत्र संख्या- 1602/नम-1 के स्थान पर महानिरीक्षक कारागार के पत्र संख्या-37466/नम-1, पत्र संख्या-37468/नम-1 एवं पत्र संख्या- 37467/नम-1 पढ़ा जाय।

आर0के0द्विवेदी
उप सचिव

संख्या-44/2015/200(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
(2) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) प्रबंध निदेशक, समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(5) जिलाधिकारी, आगरा।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in